अ०-205 प्रशा।03

सं०730/पी.ए./अ.स.स.प्रशा. खाद्य/2003
दिनांक 25/3/03

बजट/ महत्वपूर्ण/ व्यक्तिगत ध्यान
संख्या:1293/वि.अनु.–1 /2003–04

प्रेषक,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

कार्यालय सचिव : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
सं 1860 दिनांक 24/3/03
उत्तरांचल शासन

(विजेन्द्र पाल)
सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक:22मार्च, 2003

विषयः समय से बजट आंवटन तथा तत्सम्बन्धी सूचना का समय से संकलन ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2002–03 की अवधि में समय से बजट आंवटित करने तथा नियमों/ शासनादेशों के सही अनुपालन हेतु समय–समय पर समुचित निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों के बावजूद भी शासन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य लाया गया है कि कथित कमियों के कारण क्रियान्वयन स्तर पर आहरण एवं वितरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है :–

(क) बजट आंवटन में सही लेखाशीर्षक न लिखे जाने के कारण कोषागार स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा ऐसे लेखाशीर्षकों का स्वीकार नहीं किया जाना ।

(ख) बजट मैनुअल के प्रस्तर 91 के अनुसार विभाग में नियुक्त वित्त के अधिकारी अथवा स्वयं विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासनिक विभाग जिसके हस्ताक्षर से सम्बन्धित कोषागार पर बजट आवंटित किया जाता है, का हस्ताक्षर नमूना पूर्व में कोषागार को प्रेषित नहीं किया जाना।

(ग) कोषागारों को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण लेखाशीर्षक सहित पूर्व आंवटित धनराशि, वर्तमान आंवटित धनराशि तथा कुल आवांटित धनराशि का योग आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष में अलग–अलग अनुदानवार धनराशि की सूचना का न भेजा जाना।

(घ) बजट आवंटन सक्षम अधिकारी के नाम आंवटित न किया जाना तथा शासकीय विभाग से विभिन्न अनुदान स्वीकृत करने पर बिल पर प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकारी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाना।

(ङ.) बजट आंवटन आदेश की कोषागार प्रति पर सक्षम अधिकारी के मूलहस्ताक्षर वाली प्रति भेजने के बजाय फोटो स्टेट भेजा जाना, जो कि नियमानुसार कोषागार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना।

(च) जिन प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो, ऐसे आदेशों में वित्त विभाग की सहमति आदेश संख्या का पूर्ण उल्लेख न किया जाना।

(छ) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (बी0एम0–8) पर दिनांकवार, वाउचरवार व्यय विवरण प्रत्येक माह को ठीक पूर्व माह का व्यय 5 तारीख तक तथा बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा महालेखाकार को (बी0एम0–12) तथा वित्त विभाग को (बी0एम0–13) पर 25 तारीख तक न भेजा जाना। महालेखाकार से माह दर माह के

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव
सचिवालय प्रशासन, खाद्य एवं
राज्य पुर्नगठन
उत्तरांचल शासन

लेखे का भी मिलान नहीं किया जाता जिसके कारण महालेखाकार, उत्तरांचल से - शिकायत प्राप्त होती है।

(ज) बजट/ शाख सीमा कोषागार को सूचित करने बाद कोषागार से बिना अवशेष की सूचना प्राप्त किये पुनर्वाटन / पुनर्विनियोग किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2003–04 के प्रथम 3 माह के लेखानुदान को विधानसभा द्वारा मार्च के अन्तिम सप्ताह में पारित किया जाना सम्भावित है । ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 2003 को देय भुगतान में बजट अभाव के कारण कोई असुविधा न हो , प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव , बजट नियंत्रक अधिकारी को 29 या 30 मार्च को बुलाकर यह सुनिश्चित कर ले कि समय से लेखानुदान की धनराशि कियान्वयन स्तर तक विशेष वाहक से उपलब्ध करा दी जाये। जिन प्रकरणों में वित्त विभाग या अन्य स्तर से अनुमोदन अपेक्षित है उसे तत्काल प्राप्त किया जाये तथा वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 2 तारीख एवं 16 तारीख को प्रमुख सचिव,वित्त को प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष /बजट नियत्रंक अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र–क में बजट आंवटन की स्थिति का विवरण प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जहां पर लेखा–शीर्षक परिवर्तित हो गए हैं वहां सावधानी पूर्वक नया लेखा शीर्षक सही–सही भेजा जाना चाहिए।

जिन स्तरों से बजट आंवटन में को त्रुटि हो अथवा व्यय सम्बन्धी विवरण समय से सक्षम अधिकारी से निर्धारित तिथि तक न भेजे जाये ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये.,जिससे बजट एवं लेखा सूचना प्रणाली में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो ।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या:1293/ वित्त अनु.–1/2002–03 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
(2) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
(3) समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल को इस आशय के साथ प्रेषित कि इन आदेशों को अपने से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एक–एक प्रति उपलब्ध करा दें ।
(4) समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय ।

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,वित्त